REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072023-246944 CG-DL-E-03072023-246944

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

| सं. 2744] | नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2023/आषाढ़ 9, 1945 |
|-----------|--|
| No. 2744] | NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945 |

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून , 2023

का.आ. 2867(अ).—जबकि, सेवाओं या लाभों अथवा सब्सिडी के वितरण के लिए पहचान संबंधित दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाता है तथा लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे अपना अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और 'आधार' किसी व्यक्ति को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अनेक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को भी समाप्त करता है;

और जबकि, केन्द्र सरकार पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास) स्कीम (इसके पश्चात इस अधिसूचना में 'स्कीम' के रूप में संदर्भित) के कार्यान्वयन का प्रस्ताव करती है जिसका उद्देश्य समग्र संस्थागत सहायता प्रदान करना है जिसमें स्कीम की शुरुआत के साथ ही कारीगरों और शिल्पकारों को प्रदान की जाने योग्य ऋण, उन्नत कौशल प्रशिक्षण तथा टूल किट्स, विपणन और सामाजिक सुरक्षा सुलभ कराना शामिल है;

और जबकि, यह स्कीम पारम्परिक कारीगर और शिल्पकार, जो उपकरणों का प्रयोग करके अपने हाथों से काम करते हैं, के ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल पर पंजीकरण को संभव बनाती है ताकि उन्हें वित्तीय सहायता, उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने, आधुनिक डिजिटल तकनीकों और कुशल हरित प्रौद्योगिकियों का ज्ञान प्राप्त करने, ब्रांड का प्रचार करने, स्थानीय और वैश्विक बाजारों के साथ जुड़ने, डिजिटल भुगतान के लिए उनकी पहुंच सुनिश्चित करने और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके; और जबकि, यह स्कीम केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उनमें विनिर्दिष्ट विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी;

और जबकि, इस स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से किया जाने वाला आवर्ती व्यय शामिल है;

अब, इसलिए केन्द्र सरकार आधार (पंजीकरण और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, नामत: -

- स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा अथवा आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा;
- ii. स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को आधार नामांकन के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति आधार पंजीकरण के लिए किसी भी आधार पंजीकरण केन्द्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार] जा सकता है;
- iii. कार्यान्वयन एजेंसियां उन लाभार्थियों को आधार पंजीकरण सुविधाएं प्रदान करेंगी जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार पंजीकरण केन्द्र स्थित नहीं है, तो कार्यान्वयन एजेंसियां, आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 21 के अंतर्गत कार्य करते हुए यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके अथवा स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेंगी तथा इस प्रयोजनार्थ यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करेंगी।

2. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

[फा. सं. एस-06/5/2023-पॉलिसी-डीसीएमएसएमई]

डॉ. रजनीश, अपर सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2023

S.O. 2867(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Central Government proposes to take up implementation of the PM VIshwakarma KAushal Samman (PM VIKAS) Scheme (hereinafter in this notification referred to as 'the Scheme') which is aimed at providing holistic institutional support including access to affordable credit, advanced skill training and tool kits, marketing and social security to artisans and craftspeople, with the launch of the Scheme;

And whereas, the Scheme seeks to enable registration of traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools, on online digital portal to be eligible to gain access to financial support, advanced skill training, knowledge of modern digital techniques and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments and social security;

And whereas, the Scheme will be implemented in accordance with the guidelines issued by the Central Government through various Implementing Agencies specified therein;

And whereas, implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) read with regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Central Government hereby notifies the following, namely:-

- (i) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;
- (ii) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment and in case such person is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, such individual may visit any Aadhaar enrolment centre [as per the list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar;
- (iii) the Implementing Agencies shall offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves by applying under regulation 21 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 and contact Regional Offices of UIDAI for the said purpose.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F. No. S-06/5/2023-POLICY-DCMSME]

Dr. RAJNEESH, Addl. Secy.